International Research Journal ISSN-0975-3486 RNI : RAJBIL 01488 VOL. I * ISSUE—2

शोध पत्र- विधि

Oct-Nov—2009

# भारतीय संविधान का दर्पण उसकी 'उद्देशिका'

*मुकेश कुमार मालवीय

*अतिथि विद्वान ( विधि ) शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर, मध्यप्रदेश

प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है उसकी उद्देशिका में उन उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है जिसके लिए उसको बनाया गया हो। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी तथा प्रो. अर्नेस्ट वर्कर ने भी उद्देशिका के दर्शन की संकल्पना की, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को समानता और बंधुता से जोड़ने का प्रयास किया गया। वहीं न्यायाधिपति सुब्बाराव ने कहा कि– ''उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है।'' संक्षिप्त में उद्देशिका अधिनियम के उद्देश्यों एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है। ''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को– सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।''

**संविधान की उद्देशिका के स्त्रोत–** उद्देशिका में प्रयुक्त ''हम भारत के लोग...............।'' पदावली से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत 'भारत की जनता' है और भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। इसका तात्पर्य है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है।

**उद्देशिका का उद्देश्य–** उद्देशिका से संविधान के विभिन्न उपबंधों के पीछे का प्रयोजन प्रकट होता है इसे क्रमशः दो कोटियों में बताया जा सकता हैं– 1. भारत को गणराज्य बनाने का उद्देश्य 2. नागरिकों के हित का संरक्षण करने का उद्देश्य है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को निम्न प्रयोजनों को प्राप्त करवाना है– क. न्याय– सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ख. स्वतन्त्रता– विचार, मत, विश्वास तथा धर्म की। ग. समानता– पद एवं अवसर की। घ. बन्धुत्व– व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए।

**उद्देशिका के आवश्यक तत्व–**

**1. भारत का निर्माण–संप्रभुतासम्पन्न गणराज्य–** इसका तात्पर्य है कि भारत के लोगों ने एक प्रभुत्व सम्पन्न संविधान सभा में सम्मिलित अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान को बनाया है। संप्रभु अर्थात् स्वतंत्र राज्य से तात्पर्य है कि वह स्वयं ही विधि बनायेगा और उसके ऊपर किसी अन्य देश की विधिक सर्वोच्चता नहीं होगी।

**समाजवादी गणराज्य–** संविधान के 42 वां संशोध

ान 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसका अर्थ है भारतीय राज्य व्यवस्था का लक्ष्य 'समाजवाद' है। इसमें सारी शक्ति राज्य के पास होती है। यहां कल्याण–कारी राज्य की बात आती है। परंतु समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। {इक्सेल वियर बनाम भारत संघ 1979} इस मामले में कहा गया कि समावादी शब्द का मतलब है कि न्यायालय को राष्ट्रीयकरण एवं राज्य के स्वामित्व को महत्व देना चाहिए। {डी.एस.नकारा बनाम भारत संघ 1983} से सामाजिक राज्य का मतलब कमजोर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देना है।

**पंथनिरपेक्ष गणराज्य–** इसे 42 वें संविधान संशोधान अधि. 1976 द्वारा जोड़ा गया है इसका अर्थ है कि राज्य किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है वरन् सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता हैं और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। {एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघ 1994} में कहा गया कि 'पंथ निरपेक्ष' हमारे संविधान की आधारभूत संरचना हैं। {आर.सी.पांडयाल बनाम भारत संघ} के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता संविधान की आधारिक संरचना है। {अरूणराय बनाम भारत संघ 2002} में सकारात्मक अर्थ लिया।

लोकतंत्रात्मक गणराज्य– इसका अर्थ यह है कि संविधान का आधार लोगों की इच्छा हैं भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन करता चलाते है। भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि–प्रणाली को अपनाया गया है।

**2. उद्देश्य–** निम्नलिखित एद्देश्यों का निर्धारण कर पूरा करने का संकल्प हैं–न्याय (Justice)- उद्देशिका में न्याय को सामाजिक घटना के रूप में अवतरित किया गया है। सामाजिक एवं व्यक्तिगत हित में न्याय करना तथा संतुलन करना ही न्याय का उद्देश्य है। न्याय की तीन कोटियों को उद्देशिका में मान्यता दी गई हैं–

**(A) सामाजिक न्याय–** सामाजिक न्याय इस बात की अपेक्षा करता है कि विधिक आदर्शों को समाजिक स्थिति में परिणित किया जाए। {अशोक कुमार गुप्ता बनाम यू.पी. स्टेट 1997} के मामले में कहा गया कि जहाँ भी विधि (लॉ) बनेगा वह लोक कल्याणकारी होगा तथा दो पक्षों के बीच सामान्य न्याय स्थापित करेगा। {एयर इंडिया कॉर्पोरेशन बनाम यूनाइटेड यूनियन 1997} में कहा गया हैं सामाजिक न्याय समाज के कमजोर वर्ग की पीड़ा व्यथा एवं हीनता को मिटाने की एक गतिशील मुक्ति है।

**(B) आर्थिक न्याय–** इसमें राज्य का उद्देश्य जिनके पास धन हैं उसके अलावा निर्धनता का उन्मूल नहीं हैं बल्कि राष्ट्रीय धन स्त्रोतों में अनेक गुना वृद्धि करके सभी लोगों में साम्यपूर्ण वितरण करना है। Arti 38, 39 (a) , (d)

{डालमिया सीमेन्ट लि. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1996} में कहा कि आर्थिक न्याय का आदर्श प्रतिष्ठा की समानता लाना और सामजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को दूर करके जीवन को सार्थर और सर्वोत्तम जीने योग्य बनाना है। {सी.इ.एस.सी बनाम एस. सी. बोस 1992} में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है– ''सामाजिक और आर्थिक न्याय का अधिकार एक मूल अधिकार है, क्योंकि न्यूनतम सुख–सुविधा के साथ जीवन यापन एक भाग है।''

**(C) राजनैतिक न्याय–** इसमें राज्य व्यवस्था का संगठन 'एक व्यक्ति एक मत' के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए। भारत की निर्वाचन प्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है।

**3. स्वतंत्रता, समानता और बंधुता–** इन तीनों के तहत नागरिकों के सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक न्याय देकर सुरक्षित किया जाना है।

**स्वतंत्रता–** उद्देशिका में व्यक्ति के इन आवश्यक अधिकारों का ''विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता'' के रूप में उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों को संविधान के भाग 3 द्वारा राज्य के सभी प्राधिकारियों के विरूद्ध प्रत्याभूत किया गया है। (Arti 19, 25-28)

**समानता–** समानता न्याय की आधारशिला है। प्रत्येक व्यक्ति को कतिपय अधिकार प्रत्याभूत करना तभी सार्थक होगा। जब सामाजिक संरचना में असमानता दूर की जाती है। जिसमें ''व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता'' सुनिश्चित की जाती है। अनु. 14 समता देता है। अनु. 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नही करने की बात करता है। अनु. 17 द्वारा अपृश्यता का अंत कर दिया गया है।

**बंधुता–** भारत का लोकतंत्र खोखला रहेगा, यदि बंध

ाुता की भावना सभी लोगों में नहीं होगी। भले ही हम विभिन्न मूलवंश, धर्म, भाषा, संस्कृति से है पर एक मातृभूमि के पुत्र है।

**4. व्यक्ति की गरिमा–** जब तक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा नही तो व्यक्ति, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकारों को न्यायलय से प्रवृत्त करा सकेगा। जैसे– जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार।

**5. राष्ट्र की एकता और अखण्डता की आवश्यकता–** यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया हैं। इस विशाल देश में समस्या और अलगाववादी शक्तियों के कारण एकता और अखण्डता शब्दों को जोड़कर बल दिया गया है। जो अनेकता में एकता की बात करता है। अनु. 51 क में भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना नागरिकों का मूल कर्तव्य बताया गया है।

**उद्देशिका का महत्व–**उद्देशिका को संविधान में कोई विधिक महत्व प्रदान नहीं दिया गया है। बेरूबारी के मामले में सुप्रीमकोर्ट ने इसे संविधान का अंग नहीं माना। (इनरी इण्डो पाकिस्तान एग्रीमेंन्ट 1960) में सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि ''प्रस्तावना को संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता है इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्य में कोई अन्तर नही आता है।'' परंतु (केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973) के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। (प्रस्तावना का महत्व केवल उस समय होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट या असंदिग्ध हो। ऐसी दशा में संविधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है।)

**क्या संविधान की उद्देशिका भाग माना जाना चाहिए?**

**भारतीय परिदृश्य से** (इन री बेरूबारी यूनियन 1960) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उद्देशिका के संदर्भ में वास्तविक तथ्यों को पूर्णतः सिद्ध नहीं किया जा सका, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं हैं। अपितु (केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य 1973) के बाद में न्यायालय के समक्ष उद्देशिका के संविधानिक इतिहास को संज्ञान में लाया गया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्धारित बेरूबारी वाद के निर्णय के विपरित यह मत निर्धारण किया गया कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है। वहीं विधायिका अनु. 368 के अंतर्गत उद्देशिका में संशोधन कर सकती हैं, लेकिन उसकी आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

**क्या संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता हैं?**

**उद्देशिका को संशोधन से संबंधित प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सर्वप्रथम–**(केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973) के वाद में आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संसद को उद्देशिका में संशोधन करने की शक्ति है। इस संशोधन द्वारा केशवानंद भारती के मामले में दिये गये निर्णय के प्रभाव को दूर करने का प्रयास किया गया हैं, जिसमें यह निर्णय दिया गया है कि उद्देशिका के उस भाग में जो मूल ढांचे से संबंधित हैं, संशोधन नही किया जा सकता है किन्तु जब तक केशवानन्द भारती का निर्णय उलट नहीं दिया जाता हैं उद्देशिका में किये गये संशोधन को इस आधार पर चुनौति दी जा सकती है कि वह उद्देशिका में निहित किसी आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है।

**3. उद्देशिका का प्रवर्तन कई मामलों में दिखाई देता है।** (इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975) के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकथित किया है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तथापि प्रवर्तितनही किया जा सकता क्योंकि यह न किसी शक्ति का स्रोत है और न किसी शक्ति पर परिसीमा है। इसका

## सन्दर्भ ग्रन्थ

1. बसु, डी.डी., कमेंटरी आन दि कान्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (वाल्यूम के, छठा संस्करण 1986) 2. बसु, डी.डी., शार्टर कान्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, 1994 3. शिवराज, बी. (संपादक), दि फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज, कान्टीट्यूशन वाल्यूम प्ट, 1968 4. टोपे, टी.के. कान्स्टीट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, द्वितीय संस्करण 1992 5. चतुर्वेदी, डॉ. मुरलीधर, 'भारत का संविधान' एकादस संस्करण, 2006, इलाहाबाद लॉ. एजेन्सी, इलाहाबाद। 6. देशपाण्डे, वी.एस. राइट्स एण्ड ड्यूटीज अण्डर दी इण्डियन कॉन्स्टीट्यूशन। 7. पाण्डेय, डॉ जय नारायण, 'भारत का संविधान', उनचालीसवॉ संस्करण 2006, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।